

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री मो० शफीक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर-सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर को बी०पी०एल० योजना के खाद्यान्न का उठाव में भ्रामक एवं तथ्य से परे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आरोप में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

2 निलंबन अवधि में श्री शफीक का मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, सीतामढ़ी में रहेगा।


3 श्री शफीक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4 श्री शफीक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का ज्ञाप अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह०/-
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र०८ गो० आ० शिवहर 45/2012 4911 खाद्य, पटना दिनांक- 3.8.12

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, शिवहर/सीतामढ़ी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर/सीतामढ़ी/प्रशाखा पदा- 03./श्री अफजल आजमी, आई०टी० प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मो० शफीक, सहायक जिला आपूर्ति पदा०, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।